

विमान ईंधन निर्माण में भूमि पर 80% तक छूट

नई नीति

■ अजित खरे



20 से 30 प्रतिशत तक
कैपिटल सब्सिडी
पाएंगी कंपनियां

50 से 80 प्रतिशत तक जमीन खरीद पर छूट

गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में जमीन खरीद पर 50 प्रतिशत छूट होगी। साथ ही यहां 20 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों व मध्य यूपी में यह छूट 75 प्रतिशत तक होगी जबकि कैपिटल सब्सिडी 25 प्रतिशत होगी। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में इस तरह के प्रोजेक्ट लगाने पर जमीन खरीद पर 80 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। साथ ही कैपिटल सब्सिडी 30 प्रतिशत होगी। इसके अलावा जमीन खरीद पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी।

कच्चा माल यूपी से खरीदने पर और छूट

अगर कंपनी अपनी कुल जरूरत का 60 से 80 प्रतिशत तक कच्चा माल यूपी से खरीदती है तो उसे पांच प्रतिशत छूट मिलेगी। 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा माल खरीदने पर कंपनी को 10 प्रतिशत छूट मिलेगी। कच्चे माल में कृषि अपशिष्ट खाद्य पदार्थ, वन उपज आदि शामिल हैं।

सरकार उपलब्ध करवाएगी कच्चा माल

सरकार किसानों के जरिए कच्चा माल कंपनी को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। स्थानीय रिफाइनरी के साथ कंपनी को समन्वय कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय एविशियन फ्यूल मानकों के अनुरूप यूपी सरकार कंपनियों द्वारा उत्पादित ईंधन को प्रमाणीकरण उपलब्ध करवाने में सहयोग करेगी। यूपी सरकार एसएएफ इनोवेशन फंड भी बनाएगी। इसके जरिए शोध व नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इन्वेस्ट यूपी इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह बनेगा।

लखनऊ। विमानों में ईंधन के विकल्प के तौर पर बायोमास आधारित ईंधन बनाने की बड़ी पहल अब यूपी करने जा रहा है। इस ईंधन का उपयोग विमानों में किया जाएगा। इसके लिए यूपी सरकार ने इस सेक्टर में दुनिया भर के निवेशकों को लाने की मुहिम शुरू की है। इस क्रम में उन कंपनियों को जमीन खरीदने पर 80 प्रतिशत की छूट समेत कई तरह की रियायतें दी जाएगी। इसके लिए यूपी सरकार सस्टेनेबल एविेशन फ्यूल नीति-2025 लाने जा रही है। औद्योगिक विकास विभाग ने पांच साल की इस नीति का मसौदा तैयार कर लिया है।